15 म्यूचुअल फण्ड
Mutual Fund

☞ म्युचुअल फंड में निवेश क्यों करें ?

☞ सरकारी एवं निजी कंपनियों द्वारा, निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि को, योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार, विशेशज्ञों की सलाह पर, अच्छी कंपनियों के शेयरों/ऋणपत्रों में निवेश किया जाता है, जिससे सुरक्षा के साथ–साथ अधिकतम लाभ की संभावना रहती है। जो निवेशक शेयर मार्केट में पहली बार निवेश करना प्रारम्भ कर रहें हैं, उन्हे म्युचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।

☞ म्युचुअल फंड, मुख्यतः निवेश के उद्देश्यों के संदर्भ में 7 प्रकार के होतें हैं :

लिक्विड फंड (Liquid Fund)	इसमें निवेश मुख्यतः कॉल मनी के रूप में तथा छोटी अवधि के कामर्शियल पेपर/बाण्ड आदि में किया जाता है। राशि का आहरण एक दिन में संभव।
इनकम फंड (Income Fund)	इसमें निवेश मुख्यतः कॉल मनी के रूप में तथा बड़ी अवधि के कामर्शियल पेपर/बाण्ड आदि में किया जाता है। राशि का आहरण एक दिन में
गिल्ट फंड (Gilt Fund)	इस फंड के तहत निवेश मुख्यतः सरकारी प्रतिभुतियों में किया जाता है। इसमें भी निश्चित लाभ की संभावना रहती है।
बैलेन्स्ड फंड (Balanced Fund)	इस फंड के तहत निवेश की राशि का आधा हिस्सा ऋण पत्रों (debt) तथा आधा हिस्सा शेयरों (Equities) में किया जाता है।
टैक्स सेविंग्स फंड (Tax Savings Fund)	इस फंड में भी निवेश लगभग बैलेन्स्ड फंड की तरह ही किया जाता है परन्तु निवेश की गई राशि अधिकतम 1 लाख रू . तक धारा 80 C अंतर्गत सीधे आय से कटौती योग्य होती है। अर्थात् आयकर से बचत होती है।
इक्विटी फंड	इस फंड के तहत निवेश मुख्यतः शेयरों में ही किया जाता है।
सेक्टोरियल फंड (Sectorial fund)	इस फंड के तहत मुख्यतः किसी विशेष सेक्टर के शेयरों में ही किया जाता है जैसे फार्मा फंड में निवेश दवा कंपनी के शेयरों में ही किया जायेगा।

☞ उपरोक्त फंडों के जोखिम एवं लाभप्रदता को निम्न ग्राफ के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है :

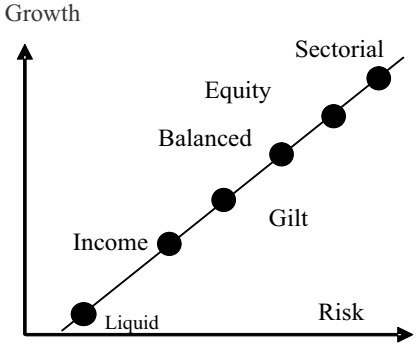

म्युचुअल फंड से निवेश की योजना :– शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निवेश करना फायदे मंद होता है, अर्थात् जब शेयर मार्केट ऊंचा हो, तो कम जोखिम वाले फंड जैसे लिक्विड/इन्कम गिल्ट फंड में निवेश करें तथा जब शेयर मार्केट नीचा हो तथा निवेश की अवधि एक से दो वर्ष रखना हो, तो इक्विटी या सेक्टोरियल फंड में निवेश कर अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार उचित समय पर म्युचुअल फंड में किया गया निवेश अन्य योजनाओं (बैंक, पोस्ट आफिस) की तुलना में अधिक तरलता के साथ लाभप्रद एवं Tax efficient होता है। म्युचुअल फंड की एक विशेषता यह भी है कि इसे प्रतिदिन की Net Asset Value (NAV) के आधार पर खरीदा या बेचा जा सकता है।

इन्कम टैक्स का प्रयोजन :–

1. सभी म्युचुअल फंड से प्राप्त लाभांश (Dividend), 01.04.2003 से धारा 10(35) के तहत पूर्णतः करमुक्त होगें।
2. इक्विटी ओरिएटेंड म्युचुअल फंड –दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (क्रय दिनांक से 1 वर्ष के पश्चात बेचने पर) पूर्णतः कर मुक्त।
3. इक्विटी आरिएंटेड म्युचुअल फंड – अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क्रय दिनांक से 1 वर्ष के अंदर बेचने पर) व्यक्ति, हिन्दु अविभक्त परिवार के लिए 15% की दर से आयकर देय।
4. अन्य म्युचुअल फंड – दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की राशि पर इंडेक्सिंग का लाभ लेने पर, 20% की दर से आयकर का आंकलन किया जायेगा।
5. अन्य म्युचुअल फंड – अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर सामान्य दरों से आयकर का आंकलन किया जायेगा

बेहतर म्युचुअल फंड का चुनाव कैसे करें ?– प्रत्येक म्युचुअल फंड का सामान्यता कोई (Benchmark Index) होता है अतः जिस म्युचुअल फंड का NAV संबंधित इन्डेक्स के कम होने पर उतना कम नही होता, परंतु इंडेक्स में वृद्धि होने पर NAV मे वृद्धि होने पर NAV मे वृद्धि दर अधिक होती है, वही बेहतर म्युचुअल फंड होता है।